

**MESSAGE FROM THE LOK SABHA****THE INDIAN PATENTS AND DESIGNS  
(AMENDMENT) BILL, 1968**

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Indian Patents and Designs (Amendment) Bill, 1968, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th August, 1968."

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) in the Chair.

**RESOLUTION RE- CONTINUANCE OF  
THE PRESIDENT'S PROCLAMATIONS  
IN RELATION TO THE STATE OF  
UTTAR PRADESH—contd.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): Mr. Rajnarain, you will kindly co-operate with the Chair. As there are many to speak please try to be brief.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैंने 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के संबंध में, सूक्ष्म में कुछ कहा था। जो रपट हमारे सामने थी, उस रपट से हमने सेक्शन 7, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट का है जो पहले उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में लागू था, को अब सारे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसको सामने रखते हुए सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि जरा देखा जाय कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी तर्कशाही के जो पुराने कानून थे, जो पुराने

बान के रूप में थे, जिन्हें सड़ जाना चाहिये था, जिन्हें निकाल दिया जाना चाहिये था, आज उन्हें ही लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। यह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट क्या है। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग भूल गये हैं और इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं :

Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 read as follows

"7- (1) Whoever—

to (a) Lr \* f tent<sup>10</sup> ca^ any person to abstain from doing or to do any act which such person has a right to do or to abstain from doing, obstructs or uses violence to or intimidates such person or any member of his family or person in his employ or loiters at or near a place ^ such person or member of employed person resides or works or carries on business or happens to be or presmently Follows him from palace to place, or interferes with any property owned or used by him or deprives him of or hinders him in the use thereof, or

(b) loiters or does any similar act at or near the place where a person carries on business, in such a way and with intent that any person may theieby be deterred from entering or approaching or dealing at such place,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both."

यह जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट है, उसके बारे में नवाब साहब और श्री याजी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने उसके संबंध में क्या किया है। यह जो 1932 का क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट है उसका मकसद क्या है। जो भाषा हमने उसके संबंध में पढ़ी है वह यह है कि जिनकी प्राइवेट तौर पर शराब की दुकानें थीं, गांजा, भांग और विदेशी वस्तुओं की दुकानें थीं और जो लोग इन के सामने पिकेटिंग करते थे, ऐसे लोगों पर यह लागू होता था।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : क्या इसका मतलब समझते हो।

श्री राजनारायण : जो ब्रिजनैस में लगे हुए हैं, जो किसी व्यक्ति को काम करने से रोकता है उनके ऊपर यह लागू होता था। मगर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह लागू नहीं होता था। यानी जो आदमी निजी व्यापार करता था, निजी उद्योग धंधा करता था, निजी दुकान करता था, विदेशी वस्तुओं की दुकानों, शराबकी दुकानों, गांजा, भांग, को दुकानों, पर पिकेटिंग करता था, सत्याग्रह करता था, उनको 6 महीने की सजा होती थी और 500 रु० जुर्माना होता था। इसमें कहाँ पर लिखा है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लेकर जाय कि हमारी मदद की जाय और हमारे खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है, वह उचित नहीं है, तो ऐसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम में बाधा पहुंचाने पर पकड़ लिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूँ कि श्री लक्खी सिंह के गांव में पानी भर गया और लोगों के घरों में पानी चला गया तो वे यह शिकायत लेकर मजिस्ट्रेट के पास गये। मगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट एक्ट के तहत जेल में बंद करवा दिया। तो मैं श्री शुक्ल जी तथा दूसरे सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह क्या चीज हो रही है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि गवर्नर श्री गोपाला रेड्डी स्ट्रांग व्यू लेते हैं। मगर स्ट्रांग व्यू किस के लिए लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 400 और 500 आदमी जाते हैं और कहते हैं कि हमारा गांव पानी में डूब रहा है और हमारे घरों की रक्षा कीजिये। इस पर वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हें क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट के मातहत गिरफ्तार करता है। श्री शीलभद्र याजी को इस पर हंसी नहीं करनी चाहिये और उन्हें इस बात को ठीक तरह से हृदयंगम करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन किस तरह से तथा किस ढंग से जनतंत्री

परम्परा को, जनतंत्री प्रथा और व्यवस्था का हनन कर रहा है। हमने यह बात एक उदाहरण के लिए बतला दी है।

आगे देखा जाय। श्रीमन्, यह जो रपट है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं और सारी कार्यवाही आज वहां पर हो रही है। तीन जगहों पर इस रपट में यह आया है कि आगामी आने वाले मध्यावधि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा हो रहा है और यह सारी कार्यवाही की जा रही है। आज वहां पर 144 धारा लागू की जा रही है। वहां पर आज क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लागू की जा रही हैं और सी० आर०पी० की कई दफाएं लागू की जा रही हैं इसमें यह दिया हुआ है :

"During the current year, the major events which caused concern to the Stat. Government but were handled firmly and effectively were the communal incidents at Meerut and Allahabad and the agitations launched by the Samyuk Socialist Party and the Com. munist Party of India (P). Another important event was celebration of the Aradh Kumbh Mela at Hardwar.

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक जनतंत्रीय, समाजवादी और राष्ट्रीय तथा वुनियादी तबदीली करने वाली पार्टी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी का ख़ात्मा चाहते हैं। हम कांग्रेस को जनहित के विरुद्ध, देशहित के विरुद्ध मानते हैं। कांग्रेस ने हमारी देश की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है। नित्य नई नई समस्याएं वह पैदा करती चली जा रही है और हमारी राष्ट्रीय सीमाओं को खतरा ला रही है। आज उत्तर प्रदेश तथा सारे देश की गरीब जनता को उसको बुराइयों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।

केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को जो अनुदान देती है, उसमें मैं पाता हूँ कि उत्तर प्रदेश को सब से कम अनुदान मिलता है। जहाँ तक उद्योग-धन्यों का संबंध है, उत्तर प्रदेश में सब से कम उद्योगधन्य है। जो भी वहाँ पर सिचाई की योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, अगर उनका हिसाब लगाया जाय तो यह मिलेगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले, वहाँ पर सिचाई की बहुत कम व्यवस्था की गई है। आप उत्तर प्रदेश में नहीं के बराबर सिचाई की योजनाओं को पायेंगे तो ये सब बातें हैं। वहाँ पर जो थोड़ी बहुत मान्यताएं राष्ट्रपति शासन के पहले थीं, वे राष्ट्रपति के शासन काल में नष्ट कर दी गई हैं।

**श्री शीलभद्र याजी :** आपकी वजह से यह हुआ है।

**श्री राजनारायण :** मैं कुछ घटनाओं के संबंध में आपके जरिये सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। 6 अगस्त को राज्यपाल बस्ती जिले गये थे। श्री ब्रज भूषण तिवारी, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के युवाजन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने राज्यपाल से कहा कि आप अंग्रेजी की जगह हिन्दी में अपना भाषण कीजिये। यहां की राजभाषा हिन्दी है। राज्यपाल कहते हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ। वह कहते हैं कि आप हिन्दी नहीं जानते हैं तो तैलगू में बोलिये जो कि आप की मादरी जवान है। उसी में बोलिये।

**श्री अकबर अली खान (आन्ध्र प्रदेश) :** तैलगू कौन समझेगा? (Interruption)  
He has served in the national struggle, you know.

**श्री राजनारायण :** वह इतना ब्रिलियन्ट स्कालर है कि वह खुद अनुवाद कर देता। लेकिन होता क्या है। राज्यपाल साहब कहते हैं—एक्सडेंड। और पुलिस कप्तान को हुक्म देते हैं। कप्तान जाता है और उसी सभा में ब्रज भूषण तिवारी, जो एडवोकेट है, उन का मुंह दबा कर बंद कर

दिया जाता है। पुलिस के लोग उस का मुंह बंद कर देते हैं और जब तक राज्यपाल जो बस्ती में बिराजमान रहते हैं तब तक ब्रज भूषण तिवारी को पुलिस कस्टडी में बंद रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी में क्या राष्ट्रपति का शासन है। क्या आज वहाँ जनतंत्र है? क्या वहाँ आज जनता की आकांक्षाएं अपना स्थान ग्रहण कर पा रही हैं? आज चतुर्दिक, चौतरफा राजगोपाला रेड्डी साहब अपनी अह-न्मयता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह मुख्य मंत्री के कमरे में जाते हैं, बठते हैं, दरबार लगाते हैं, दफ्तर करते हैं। असल में उस में खामोश क्या है। वह मुख्य मंत्री रह चुके हैं...

**श्री अकबर अली खान :** यह तो डेमोक्रेटिक है।

**श्री राजनारायण :** यह समय हमारे समय में नहीं जुड़ेगा। अगर डेमोक्रेटिक है तो उसका एक उदहारण मने दे दिया।

**उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) :** राज नारायण जी, दो तीन मिनट में आप बाइंड अप कीजिये।

**श्री राजनारायण :** नहीं हो पायगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) :** हो पायेगा।

**श्री राजनारायण :** दो, तीन मिनट में नहीं हो पायेगा। भाषा का सवाल है। भाषा के सवाल पर कहना चाहता हूँ कि श्री गोपाला रेड्डी राष्ट्रपति शासन की जो सरकार आज वहाँ चला रहे हैं उस में जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी सीख रहे थे, अंग्रेजी को भूल रहे थे, जब से यह राष्ट्रपति का शासन वहाँ हुआ है तब से वे जो हिन्दी सीखे थे वह भी भूल गये और पुराने स्थान पर पुनः आ गये। इसीलिये एक मिनट के लिये भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन, इस की अवधि वहाँ नहीं बढ़ायी जानी चाहिये।

उसी के साथ साथ अनेक अपराध वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं और इस ढंग से अपराध हो रहे हैं कि उन में कत्ल बढ़ा है, डाका बढ़ा

! [श्री राजनारायण] ११६११

है और डाके और कल्ल में जो वहां के पुलिस के कर्मचारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, सब शामिल हैं। आज जितनी वहां सीमा पर हत्याएं होती हैं उन सब हत्याओं में वहां की पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। यह सब घटनायें हो रही हैं आगामी मध्यावधि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गरमी आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग चीफ सेक्रेटरी को अपना गुलाम बना कर रखे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी उन के घरों में जा कर दरबार करता है और चीफ सेक्रेटरी को जो जो हिदायतें दी जाती हैं कि फलाने का ट्रान्सफर फलां जगह कर दो, फलाने का फलां जगह ट्रान्सफर कर दो, फलाने अफसर को फलां जगह रख दो, उसी तरह वह करता है और चीफ सेक्रेटरी उन कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलवा रहा है और जिस को जहां चाहे रखता है।

कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार आज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी दिन अगर आप को मौका मिले तो उत्तर प्रदेश में जा कर देखें कि यह चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है। राष्ट्रपात के शासन में एक एक जिले में एक एक कुनबा है। एक ही कुनबे का है कमिशनर भी, कलेक्टर भी, पुलिस कप्तान भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तनज्जुली कर के भेजे गये लोग वहां से निकाल निकाल कर फिर कमिशनर के पदों पर रखे जा रहे हैं। यह सब क्या है? यह तानाशाही है। हमारे बनारस में एक आदमी बहुत दिनों से था। उस को तरक्की कर दी गयी। ट्रान्सफर हो रहा था, एक नया पद क्रिएट कर दिया गया और उसे उस पर बिठा दिया गया। यह सब नित्यप्रति आज वहां हो रहा है। इस लिये मैं एक मिनट के लिये नहीं चाहता कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाय।

अब चले आइये कानपुर की तरफ। हमारे मित्र गुल्ल जी इस समय यहां पर नहीं हैं। हम ने बताया था कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम पूंजीपतियों को डरवाया जा रहा है, धमकाया

जा रहा है। यह कानपुर के बी०आई०सी० का झगड़ा क्या है? आगामी चुनाव। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चूंकि श्री श्रीप्रकाश के रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिये गुल्ल जी नहीं आ पा रहे हैं। इस लिये आज वहां 25 तकड़म की जा रही हैं। आप स्वयं सप्रसन्न आदमी हैं। हम को कोई नज़ीर दे दीजिये कि 3 महीने बीत गये क्यों वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर और वहां के एक्टिंग डाइरेक्टर इन दोनों को कंफर्म नहीं किया सरकार ने और श्री हिम्मत सिंह जी ने जो मीटिंग 3 तारीख को वो उस में कह दिया कि आप लोगों का पीरियड खत्म हो गया, आप कंफर्म नहीं हुए इसलिये इस मीटिंग में आपको भाग नहीं लेना चाहिये। आज सारे का सारा बी०आई०सी० और उस के कारखाने ठप्प हो रहे हैं क्योंकि सरकार आज यह चाहती है कि वहां पर इस तरीके से किसी सरकारी कर्मचारी को रखा जाय जिस के जरिये आगामी आम चुनाव में लाखों लाख रुपया कांग्रेस पार्टी को मिल सके। हम ने यहीं पर एक मांग रखी थी, हमारे भाई दिनेश सिंह जी नहीं हैं बरना आज उन के बारे में कहता। मैं अभी रायबरेली गया था। रायबरेली श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी जो का निर्वाचन क्षेत्र है...

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह (बिहार) : जनाब वाइस चैयरमैन साहब, आप 50 मिनट बोल चुके। हाउस में और लोगों को भी बोलना है और हम लोग जब इसी विषय पर बिहार के बारे में बोले थे तो हम को समय पर रोका जाता था। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति की मोनोपली हो जाय। हम इस मोनोपली को रोक रहे हैं। आप से मैं निवेदन करता हूँ कि 50 मिनट माननीय सदस्य को हो गये हैं भाषण करते हुए, उनका किस्सा तो एन्डलैन्स है, द्रोपदी के चीर की तरह है। हम लोगों के इंटरैस्ट को प्रोटेक्ट किया जाय, यही आप से करबद्ध प्रार्थना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपल्ल ठेंगड़) : राजनारायण जी, आप दो तीन मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राजनारायण : जितनी देर इन सदस्यों ने मेरा समय लिया है उतनी देरमें मैंने समाप्त कर दिया होता। इन लोगों ने कुछ नयी बातें उठायी हैं, उन का जवाब तो देना ही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : आप तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आप बाकी सदस्यों पर अन्याय न करें।

श्री राजनारायण : बाकी सदस्यों पर तो मैंने कभी अन्याय करने की कल्पनाही नहीं की। इस लिये मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इन दोनों सदस्यों के सबालों का मुझे जवाब न देना पड़ता तो मैंने समाप्त कर दिया होता दो तीन मिनट मेंही, मगर अब उन का जवाब देना पड़ेगा।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Many of us, the Members of the Opposition, went to a meeting of the State Governments and the Central Government employees. I heard their complaints. They are not allowed to come near the gates of the Parliament House. Therefore, I want to bring to your notice that they have asked me to bring it to the notice of this House just now. The Home Minister should explain why they should not be allowed...

SHRI AWADEHSHWAR PRASAD SINHA : Why should they be allowed to come to the Parliament? They have no business to come here.

SHRI BHUPESH GUPTA : They have come here to petition the Parliament. Certainly they have that right. It has been brought to my notice and I consider it my duty. The Central Government's and the State Governments' employees have come here from all over the country. They want to come near the gates of the Parliament House in order to present a petition to the Parliament and they are not allowed. They have to wait there near Krishi Bhavan, some distance away. I think the Home Minister should see to it.

5—26 R. S./68

श्री राजनारायण : यह तो मेरा विषय ही है। भूपेश जी, रुको न, काहे चले गये। उत्तर प्रदेश का राज कर्मचारी आज यहाँ आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों को वहाँ की सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष भत्ता नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? यह उन की मांग है, पुरानी मांग है, सही मांग है और अगर उत्तर प्रदेश का कर्मचारी यहाँ आया तो सरकार उन को कहें कि तुम पार्लियामेंट भवन तक नहीं जा सकते हो इस से बढ़ कर तूफाने बदतमीजी का कानून क्या होगा। इस से बढ़ कर जनतंत्र की परम्परा को विनष्ट करने वाली बात क्या होगी? आप देखें, समाचार-पत्रों में आप ने पढ़ा होगा कि 24 दिसम्बर को सारे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक हड़ताल करने जा रहे हैं। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो रही है। उस दिन हमारे शिक्षा मंत्री और घर मंत्री दोनों विराजमान थे। उन दोनों ने कहा कि कहीं से भी हड़ताल का नोटिस नहीं है। सरकार को इस की जानकारी नहीं और यह सरकार शासन चला रही है। 24 दिसम्बर से उत्तर प्रदेश का अध्यापकवर्ग हड़ताल पर जा रहा है। अगर उस समय तक कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उनकी तन-खवाहें नहीं की गयीं तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि वहाँ आज विद्यार्थियों की भर्ती नहीं हो रही है। अगर वहाँ राष्ट्रपति का शासन है तो तम्बू छप्पर लगा कर शिक्षा दिलायी जाय, वहाँ उन के पढ़ाने की व्यवस्था हो। अगर कोई गगन-चुम्बी अट्टालिका न हो तो उन की पढ़ाई नहीं होगी यह कहां की इंसानियत की बात है, कहां की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ . . .

(Time bell rings)

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : अब आप वाइन्ड-अप कीजिये।

श्री राजनारायण : यह घंटी वाइन्ड-अप करने के लिये नहीं बजाई जाती है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) :** मैं बोल रहा हूँ ।

**श्री राजनारायण :** तो अब हम को दो तीन मिनट और दे दीजिये ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) :** नहीं, नहीं, अब जल्दी कीजिये ।

**श्री राजनारायण :** आप दो तीन मिनट और दे दीजिये । “वाइन्ड अप, वाइन्ड अप” कहने की चेयर पर जा कर के आदत पड़ जाती है । अगर आप यह न कहें तो अपने आप खत्म हो जाय । इतना समय तो चेयर ही ले लेता है ।

उसी के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बिजली की दर बढ़ाई गई, इस राज्यपाल के शासन में जहाँ पर सिंचाई की दर बढ़ाई गई, जहाँ पर टेक्निकल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड मिलता था वह स्टाइपेंड बन्द कर दिया गया, जहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में उनकी भरती बन्द कर दी गई और जहाँ पर यूनिवर्सिटी की मान्यताएं आज साजिश कर के सरकार छीन रही है । इसके अतिरिक्त वहाँ पर हत्याएं होती हैं, कत्ल होते हैं, थाने पर जाय तो रपट नहीं लिखी जाती है, पुलिस वाले डायरी बनाते नहीं है । इस लिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन को समाप्त कर दिया जाय और शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पर चुनाव कराये जाय । आज केन्द्र के कांग्रेसी शासनसे चाहे वह श्री दिनेश सिंह जी के मार्फत हो, चाहे प्रधान मंत्री के मार्फत हो, चाहे वित्त मंत्री के मार्फत हो, चाहे घर मंत्री के मार्फत हो, उत्तर प्रदेश में जितनी कम्पनियां हैं वे सब टेरोराइज्ड हैं, आतंकित हैं और उनको भय दिखा कर के उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया जा रहा है । कांग्रेस के साथ में स्थायी ताकत देने के लिये आज पूरे उत्तर प्रदेश में

हिन्दू मुस्लिम दंगे, जातियों का संघर्ष, विद्यार्थियों पर दमन, अध्यापकों पर दमन, यह सारा काम हो रहा है और यह सरकार समझती है कि हम हिटलरशाही और तानाशाही चला कर के उत्तर प्रदेश को काबू में रख सकेंगे । हम यह बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिस ने अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन का जम कर मुकाबिला किया चाहे वह 1920, 21 की लड़ाई रही हो, चाहे वह 1930 की लड़ाई रही हो, चाहे वह 1942 की लड़ाई रही हो । उत्तर प्रदेश वह राज्य रहा है जहाँ से क्रांति सदैव फूटी है चाहे वह 1857 की साम्राज्य विरोधी क्रांति रही हो या कोई और क्रांति रही हो और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश कांग्रेसी शासन के कुशासन के कारण उसकी कब्र बनाकर के रहेगा । इस लिये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार जनतंत्रीय और सभ्य साधनों का इस्तेमाल करे, नागरिकता का हनन न करे, नागरिक अधिकारों का हनन न करे, अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के जरिये बनाये हुये काले कानूनों का गलत इस्तेमाल कर के जनतंत्रीय और नागरिक अधिकारों का हनन न करे । यह आप के जरिये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ ।

**श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) :** श्रीमान, मैं आशा करता हूँ कि श्री राजनारायण जी का आधा समय हम को मिलेगा ।

**श्री राजनारायण :** मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारा दूता टाइम आपको दिया जाय । अब मैं जवाब नहीं दूंगा और वह समय भी आप उनको दे दीजिये ।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** इसका आप जवाब क्या देंगे ।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** राजनारायण जी अब आप जा कहां रहे हैं ?

**श्री राजनारायण :** जरा राज्य कर्मचारियों के यहां अब हो लें ।

(Interruption.)

श्री तारकेश्वर पांडे : श्री राजनारायण जी ने भावना में बह कर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे कहीं मेरी सहमति नहीं हो पाती है यद्यपि वे मेरे छोटे भाई हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, सत्य क्या है उस पर परदा नहीं डाला जा सकता है। जब कांग्रेस बहुमत में नहीं रही तो हमने त्यागपत्र दिया और जिन लोगों ने अपना बहुमत कर के शासन स्थापित किया उनको हमने अवसर दिया और एक विरोधी दल की तरह से हमने आचरण किया और काम किया। वे दल आपस में मिल कर के काम नहीं कर सके। उसकी जिम्मेदारी किस पर है। एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह से मैं कह सकता हूँ कि सब से बड़ी जिम्मेदारी श्री चरण सिंह की है जो पदलो-लुपता के कारण कांग्रेस छोड़ कर चले गये, दूसरी जिम्मेदारी किस की है? संयुक्त समाजवादी दल की है और संयुक्त समाजवादी दल में भी उस पक्ष की है जिस का नेतृत्व श्री राजनारायण जी कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह है कि यह विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें छः महीने का हम समय दें या एक मिनट, एक क्षण का भी समय न दें। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोच कर अगर हम बिल्कुल समय न दें और इस विधेयक को अस्वीकृत कर दें तो क्या होगा, किस का शासन होगा, इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। इस लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं इस संदर्भ में एक दो बातें कहना चाहता हूँ।

यह बात सही है कि इसके लिये राष्ट्रपति शासन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम को इस तरफ देखना चाहिये, विचार करना चाहिये कि डकैती और खून के मामले जो हैं, अपराध जो हैं, वे बड़े हैं और उनकी रोकथाम करने के लिये शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा अनुमान है

कि मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और हमीरपुर में जो संगठित दल हैं उनकी सफाई करने के लिये प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें पूर्णतया सफलता नहीं मिल सकी है। इस तरफ विशेष आक्रमण, संगठित आक्रमण करने की आवश्यकता है जिस से अपराधों को रोका जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बलिया जिले में एक विचित्र किस्म का अपराध बढ़ रहा है जिस की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां जहर से बुझी हुई सुई मनुष्य के शरीर में चुभाई जाती है। उससे दो तीन मृत्युएं हो चुकी हैं और इससे वह इलाका, वह जिला बड़ा त्रस्त है कि इसका कैसे उपाय किया जाय, कौन सा ऐसा उपाय किया जाय कि इस तरह का अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको दंड दिया जाय। मेरा सुझाव है कि इसमें उच्च कोर्ट के जो सी० आई० डी० के अधिकारी हैं उनको यह काम सुपुर्द कर दिया जाय जिस से वे जांच-पड़ताल कर के ऐसे अपराधियों को दंड दिला सकें और इस गिरोह का खात्मा कर सकें।

मैं तो अमर भारती का उपासक हूँ और कभी कभी मेरे मन में यह भाव उठता है जो आप के समक्ष और इस महान सदन के समक्ष व्यक्त कर देता हूँ। वह कितना बड़ा दुर्दिन इस देश का था जब हमारे ऋषियों ने जिन स्थलों पर वेद की रचना की थी, वे स्थल हमारे पास नहीं रहे और भारत का विभाजन हुआ। यह इतिहास का प्रश्न है। आगे आने वाली संतति पर मैं इसे छोड़ देता हूँ कि वह भारत के भविष्य का उचित निर्णय करे। हमने इसके विभाजन को स्वीकार कर लिया है। अब मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता है कि साम्प्रदायिक उपद्रव हों। हिन्दू और मुसलमान दोनों की समान गति है, समान स्थिति है आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शासन में। मेरी यह बिल्कुल निश्चित धारणा है कि यहां हिन्दू और मुसलमानों

[श्री तारकेश्वर पांडे]

के लिये कोई पक्षपात नहीं है और समान रूप से सभी के साथ यह शासन व्यवहार करता है। फिर क्या कारण है कि यह उपद्रव हो रहे हैं। विशेषतया गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गाजीपुर में छुटपुट उपद्रव हुये, साम्प्रदायिक उपद्रव हुये। अधिकारियों की सभी दलों की और विशेषतया जो लोग शासन चला रहे हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार के उपद्रवों को रोकें। मैं चाहता हूँ कि शासन इस तरफ ध्यान दे। मैं चाहता 3 P.M.

हूँ गृह मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें। हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत और अरबी इन दोनों भाषाओं के लिए एक अलग ही निरीक्षक संस्था है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है राष्ट्रपति शासन की। मुझे बड़ा दुःख है। इस सम्बन्ध में मैंने आवेदन-पत्र दिया है। गृह मंत्री से भी मिला हूँ, राज्यपाल महोदय को आवेदन-पत्र भेजा है। अरबी को मैं विदेशी भाषा मानता हूँ। संस्कृत को इस देश की भाषाओं की जननी मानता हूँ और हमारे संविधान की वह एक भाषा है। सरकार आदेश देती है कि संस्कृत विभाग को जो शिक्षा निदेशक का विभाग है उसमें शामिल कर दिया जाय, इसको मैं ठीक नहीं समझता हूँ। स्थिति क्या है? इस समूचे हिन्दुस्तान में जो संस्कृत पाठशाला और महाविद्यालय चलते हैं उनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश में चलते हैं। यदि इस प्रकार का आचरण किया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि संस्कृत भाषा की क्षति होगी और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और पुरातन वांगमय को ठेस पहुँचेगी। मैं चाहूँगा कि इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाय और इसको जिस तरह से शिक्षा कमीशन ने कहा है उसी तरह से रहने दिया जाय।

हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित आगरा, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालय हैं जो जिलों

में फैले हुए विभिन्न महाविद्यालयों का संगठन करते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं। आगरा, कानपुर और मेरठ, इन विश्व-विद्यालयों के जो कालेजेज हैं, डिग्री कालेजेज उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाने का अधिकार है, गोरखपुर विश्वविद्यालय को नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीछे 14 जिले हैं और वे पूर्वांचल के पिछड़े हुए जिले माने जाते हैं। मेरी यह प्रार्थना है इस विधेयक में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक है उसमें संशोधन कर देना चाहिए, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त जो डिग्री कालेजेज हैं वे यदि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलना चाहे तो उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए, जैसी की समूचे प्रदेश में है। आज जो स्थिति है उसका परिणाम यह होता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो गरीब और साधनहीन बच्चे हैं वे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जाकर विद्या अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बी० ए० पास करने के बाद उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। मेरी यह प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह समझता हूँ कि समान शिक्षा हो, समान योग्यता हो, समान काम हो तो समान वेतन मिलना चाहिए, केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, विश्वविद्यालय हों या महा-विद्यालय हों यानी डिग्री कालेजेज हो।

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोरम का इस सदन के लिए कोई प्रतिबन्ध है? क्या इस समय कोरम है?

श्री शीलभद्र याजी : राजनारायण जी, कोरम लेकर चले गए हैं, सबको डेपूटेशन में लेकर चले गए हैं।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : संसद् को पूरा करना चाहिए कोरम।

श्री तारकेश्वर पांडे : मुझे आज्ञा है?

एक माननीय सदस्य : है।



श्री तारकेश्वर पांडे : बड़ा अनुगृहीत हूँ । तो जो डिग्री कालेजेज में अध्यापक काम करते हैं और विश्वविद्यालय में काम करते हैं उनका समान काम है, समान योग्यता है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, इसको कमीशन ने स्वीकार किया है, शिक्षा आयोग ने । यह हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है । प्रजातांत्रिक शासन हो, उस पर यह छोड़ दिया जाय, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे अध्यापकों के संगठन को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी कोमल मति पर इसका कुप्रभाव पड़ता है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना शीघ्र हो सके इस काम को किया जाय ।

इसी सम्बन्ध में जिला परिषद, म्युनिसिपल, कारपोरेशनों और म्युनिसिपल बोर्ड्स में जो अध्यापक काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । उनका वेतन बहुत कम है । मैंने उत्तर प्रदेश में चारों तरफ देखा है, नैपाल—वह हमसे पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है—बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सबकी फिगर मैंने कलेक्ट की हैं मुझको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल योग्यता रखी गई है और इन्टरमीडिएट रखी गई है मिडिल स्कूलों के लिए । वेतन नहीं बढ़ाया गया है । मैं चाहूँगा कि इस पर विचार किया जाय । कहा जाता है कि हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ जायगा । अगर अध्यापकों का वेतन देने में आर्थिक संतुलन बिगड़ता है तो सब उपाय किए जायें, लेकिन ये शिक्षक हैं, गुरु हैं छोटे छोटे बच्चों के जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं । उनको अगर वेतन नहीं दिया गया तो वे पढ़ा नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकेगी बल्कि चंचल होगी । उससे राष्ट्र का अहित होगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वेतन जो शिक्षा आयोग द्वारा स्वीकृत है वह दिया जाय ।

अब सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ । जो सरकारी कर्मचारी हो वह मुझे माफ करेगा । यह सामाजिक दोष मैं मानता हूँ, अपने देश का दुर्भाग्य है कि जो जिस कार्य को करता है वह मन और रुचि लगा कर नहीं कर पाता है । क्या किया जाय ? वस्तुस्थिति यही है । इसलिए सामाजिक दोष पर विचार करके इसका सुधार किया जाय, यह एक प्रश्न है । दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे गाजियाबाद है, यह दिल्ली शहर से मिला हुआ है । अब इस गाजियाबाद के क्लर्क को जो वेतन मिलता है उससे अधिक वेतन उसी योग्यता के दिल्ली शहर के क्लर्क को मिलता है । तो छोटे और बड़े शहर का विचार कर आर्थिक संकट का संतुलन तो बिठा लिया जाय लेकिन आम तौर से समूचे भारतवर्ष में एक प्रकार की योग्यता और एक प्रकार का कार्य करने वाले सारे सरकारी कर्मचारियों को वेतन और महंगाई भत्ता समान रूप से मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

हमारे उत्तर प्रदेश में इस बारे में बड़ी छानबीन हो रही है कि ग्राम सभा की जो भूमि है उसको जो लोग साधन-सम्पन्न हैं उन लोगों ने आपस में बांट लिया है अनुचित रूप से । मेरी प्रार्थना है कि ग्राम सभा की भूमि को जो बिना जमीन के काश्तकार है उनको दिया जाए । सरकार के पास समूचे प्रदेश में जिले जिले में बहुत सी ऐसी भूमि है जिसका प्रबन्ध उन लोगों के लिए कर दिया जाय जो बिना जमीन के किसान हैं । यदि ऐसा नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा ? लोग जमीनों पर आधिपत्य करेंगे, आप उनको हटाएंगे, बलवा-फसाद होगा, जुर्म बढ़ेगा अपराध बढ़ेगा, लाभ कुछ नहीं होगा । हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना जमीन के काश्तकारी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनकी बड़ी भारी समस्या है । सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण

[श्री तारकेश्वर पांडे]

से उनकी दयनीय अवस्था है। उस अवस्था से उनको उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उनको साधन-सम्पन्न बनाया जाय। यह बड़ा आसान काम है। जो जमीन खाली है ग्राम सभा के पास उसको तथा दूसरे सब प्रकार की जमीन को लेकर उसका बन्दोबस्त उनके लिए किया जाय।

हम कांग्रेस के इस प्रस्ताव की तरफ, जो हमारे इलेक्शन मैनीफेस्टो में था, ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने निर्णय किया था, पिछली जो सरकार थी जिसका पतन हुआ और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसने भी यह निर्णय किया था पर वह लागू नहीं हो सका। अपनी जिद के कारण मुख्य मंत्री ने उसको लागू नहीं किया कि जो अलाभकारी जोत है, जो कि साढ़े छः एकड़ तक की भूमि मानी गई है, उस पर लगान नहीं लेना चाहिये, उस पर से लगान उठा लेना चाहिये और जैसे आमदनी के आधार पर आमदनी कर लगता है उसी तरह से भूमि के सम्बन्ध में भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस प्रकार की भूमि पर आमदनी हो उसी प्रकार से उस पर कर लगाना चाहिये। तो यह व्यवस्था लागू करना चाहिये।

मैं सन् 1952 ई० से एक साधारण पुरुष इस महान सदन का सदस्य रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सुनता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष है, भारतवर्ष ही उत्तर प्रदेश है लेकिन जब उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विचार करता हूँ तो मालूम होता है कि शिक्षा, उद्योग और जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं सब में हिन्दुस्तान के और राज्यों में जितनी प्रगति हो रही है उससे कम अनुपात में उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है। उसका कारण क्या है? और किसी को संदेह होगा लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रति इस केन्द्रीय शासन की एक परम्परागत उपेक्षा रही है। इस उपेक्षा का अन्त होना चाहिये। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश

इस वक्त केन्द्र ही उत्तर प्रदेश का शासन कर रहा है और इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस उपेक्षा नीति का अन्त किया जाय और औद्योगिक उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान दिया जाय। जनसंख्या और आय, यही दो आधार हैं किसी राज्य का केन्द्र द्वारा सहायता पाने का, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश से आय कर आपको अधिक मिल नहीं सकता है, कहां से मिलेगा? इसलिये मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ कुछ उदारता की जाय जिससे कि उत्तर प्रदेश और राज्यों के समान आ सके। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

हिन्दी भाषा के प्रति संविधान में आस्था व्यक्त की गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान शासन ने पिछली सरकार और कांग्रेस की सरकार ने हिन्दी की प्रगति के लिये जो उत्तरोत्तर काम करती रही है उसमें कुछ रुकावट डाली है, उसमें कुछ रुकावट हो गई है।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Have Sanskrit. I have no objection if you say Sanskrit. Don't highlight Hindi. I am with you if you say Sanskrit.

SHRI TARKESHWAR PANDE: The whole difficulty is, Hindi is the eldest daughter of Sanskrit and...

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): It is not correct.

SHRI TARKESHWAR PANDE: If it is not correct let us talk and let us find out the correct position.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Don't make assertions.

श्री तारकेश्वर पांडे: मेरी प्रार्थना यह है कि संस्कृत जो है वह जननी है हमारे देश की भाषाओं की। मैं तो यह भी मानता हूँ, कुछ लोगों को शायद इसमें कुछ परेशानी होगी, मालवीय जी का वह वाक्य मुझ याद है जो कि मालवीय जी ने कहा था, कि जो

लड़की केवल मां के अलंकारों से ही अपने को संवारना चाहती है वह लायक लड़की नहीं है, योग्य लड़की नहीं है, उस लड़की को जिस स्थल पर वह जाय उसके वातावरण से भी अपने को संवारना चाहिये। मेरी यह भी मान्यता है कि संस्कृत भाषा से तत्सम शब्द हिन्दी में आने चाहिये और इसके साथ यह भी मेरी मान्यता है कि संस्कृत के अतिरिक्त जिस प्रकार का वातावरण हो उस प्रकार के शब्द हिन्दी में आने चाहिये और उसको समृद्ध बनाना चाहिये। यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश का जन-मानस जो है वह हिन्दी को चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब हिन्दी को जन-मानस चाहता है तो जन-मानस के विपरीत कोई आचरण करना राष्ट्रपति शासन में उचित नहीं है। जनता हिन्दी को चाहती है और मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि इन दिनों में जो हिन्दी के प्रति भाव व्यक्त किये गये हैं या जो काम किया जा रहा है उसको कुछ रोकना चाहिये। यह उचित नहीं है कि पिछले दिनों में हिन्दी की प्रगति के लिये जो एक परम्परा स्थापित की गई है और पिछली सरकार जो आई उसने भी और उस परम्परा को सुदृढ़ किया तो अब कुछ दिनों के लिये जो राष्ट्रपति शासन है उसमें कुछ ऐसा हम न करें कि हिन्दी को उपेक्षा हो, यही मेरा निवेदन है। इसमें कोई बहुत कड़ाई नहीं है कि संस्कृत हो या हिन्दी भाषा हो या कोई और भाषा हो, यह तो आपस में बातचीत कर के तय किया जा चुका है, अगर इस अध्याय को फिर प्रारम्भ करना है तो यह बड़े लोगों का काम है जिसमें कि आप सब लोग हैं, वह निर्णय कर लीजियेगा, लेकिन मेरा तो केवल इतना ही निवेदन था।

अब मैं एक तीसरी और अन्तिम बात कहना चाहता हूँ जो कि कोई विवाद का विषय नहीं है। मेरा जो थोड़ा बहुत उत्तर-

प्रदेश का ज्ञान है और जो मैं और राज्यों के सम्बन्ध में भी जपनता हूँ उसके आधार पर मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इस देश के लिये काम किया और देश जो स्वतंत्र हुआ उन देशभक्तों की अकारण कुछ परिस्थिती खराब हो जाती है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, विवाह हो, कोई मौत हो गई हो या और कोई विषम परिस्थिति हो गई हो उसमें आर्थिक सहायता दी जाती है और दूसरे यह है कि जो साधनहीन हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में मासिक पेंशन दी जाती है और अब मुझे मालूम हुआ है कि इस समय सरकार ने आर्थिक सहायता और मासिक पेंशन देना राजनैतिक पीड़ित को समाप्त कर दिया है, जो लोग पिछली सरकार में पाते रहे हैं वह तो कायम है, वह पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अब जो आर्थिक सहायता और पेंशन पाते रहे हैं वह उनको बन्द कर दिया है। अब मैं किस की कहानी कहूँ और किसी की दर्दनाक स्थिति का वर्णन मैं आपसे क्या करूँ लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूँ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वह यह याद न रख अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने स्वराज्य के लिये काम किया, तिल तिल कर मरे खपे और गोली खाई, हम तो उस जिले के रहने वाले हैं जिस जिले में 1942 ई० में ब्रिटिश शासन नहीं था, कांग्रेस के नेता श्री चित्तूपांडे के नेतृत्व में एक सरकार बन गई थी और मुझे स्मरण नहीं है कि उस जिले में कोई ऐसा गांव होगा जिसमें कोई जेल न गया हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई हो, गांव के गांव जला दिये गये, बर्बाद हो गये। तो इसी प्रकार की और राजनैतिक परिवारों की भी स्थिति है। सारी जवानी को लोगों ने जॉक दिया इस राष्ट्रीय आन्दोलन में और वह नहीं चाहते हैं कि उनको कोई सहायता दी जाय लेकिन हम चाहते हैं कि उनको सहायता दी जाय क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वे वीर सैनिक

[श्री तारकेश्वर पांडे]

रहे हैं, अब वह संकट में हैं, आर्थिक कष्ट में हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिये हमारे उत्तर प्रदेश में उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी पुस्तकों के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, और अगर कोई कुछ असाधारण विपत्ति आये तब आर्थिक सहायता दी जाती थी और उनको कुछ पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसको बन्द कर दिया गया है। मेरा गृह मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह राज्यपाल महोदय को यह निर्देश करें, उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश करें, कि इस व्यवस्था को बन्द न किया जाय, नहीं तो जो गरीब हैं, जो मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं उनकी एक बड़ी भारी आह निकलेगी, उनकी आत्मा को आप सताये नहीं, यह मेरा आपसे अंतिम निवेदन है।

म आपका और अधिक समय नहीं लूंगा और इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Vice-Chairman, Sir, I do not think it is necessary to go into the question as to how Uttar Pradesh has come to be administered under President's Rule under our Constitution but certainly what is happening in Uttar Pradesh makes one sad. The previous speaker has just drawn our attention to the great sacrifices that the people of his District—Ballia District—made during the struggle for freedom. I have remembered them in this House more than once and I have pointed out that the Administration of Uttar Pradesh has paid hardly any attention to them. I know, soon after independence or even before when the first truce was declared and the Congress leaders were released from jail, a fleet of cars, posh cars, went to Ballia, saw the people and assured them that they would not be forgotten, that their great sacrifices would be remembered. I do not know who in the administration of U.P. remembers them today. Has anything been really done to rehabilitate the people who were driven away from their hearths and homes when the British tommies burnt down village after village? That is a very sad comment on the twenty years of Congress rule. Is it not the same case in other spheres? U.P. has had the great advantage of giving all the Prime Ministers to this country, I

U.P. has had the great advantage of having perhaps the biggest Legislative Assembly the biggest representation in Parliament and yet why is it that these conditions prevail? Perhaps literacy is the lowest in India in that State. Industrial development is backward, even though it is so near to Delhi. There are a few spots like Kanpur which have developed so well. What is the reason for this? I could go on repeating the failings and pointing out what has been done and what has not been done. It is not my purpose to recite a catalogue of the failings of the Congress Government today, but I do feel that the people of U.P., the poor people of U. P. deserve a better deal. If there are not many cities, large industrial cities in U.P., I would not consider it a great handicap, because our country, after all, is based on an agricul-rural economy and if the Government is doing everything to help agriculture, it would help the people. I hope modern methods of improved agriculture, the high-yielding rice seeds are being made available to the people in a larger measure. Once the agriculturist gets the benefit and the advantage of using this high-yielding rice seed, it will naturally give him a large income, make his life more comfortable and his burden more bearable.

In this context the questions and answers on the Calling Attention motion in this morning's session of the House are a sad commentary on what happens to the poor agriculturist. Is it necessary to ruthlessly beat up people in village after village for a little difference over a levy? It is not my purpose to repeat all that happened in the morning, but I cannot but say that it is a very sad commentary that this should happen in a free country after twenty years of independence. Much more so I say with great regret that the hon. Minister should get up and answer in this callous manner. The last debate took place on the 14th August. Today is the 19th. In five days he should have at least got some more information for us instead of repeating the old police report that nothing has happened. Responsible people make serious allegations and after so many days we are told that nothing has happened. Surely in five days, when such serious allegations were made on the floor of the House—on the last occasion we met here on the 14th—and when attention was drawn to what had already appeared in certain newspapers, the Home Ministry should have gone about it in more earnest and made available to us, to this House, the actual facts, whether what had been said

was true or not. I cannot but charge the Government with being utterly callous in this matter.

I referred briefly to the industrial backwardness of U.P. It is said by certain people. I am afraid I cannot assert whether U. P. is industrially backward or not, but I know there are many developed industrial centres. Not far from here, there is a centre called Modinagar, where an industrial complex has grown up because of the enterprise of one person or one family. There are several others and, of course, we have the large town of Kanpur. In this House we have discussed the affairs of the British India Corporation more than once. I do not wish to cover the same ground again. Unfortunately I was not present two or three days ago when the hon. Minister answered certain questions. I wish to repeat and charge the Minister with deliberately misleading the House. The Minister of Industrial Development has repeatedly given different answers on different occasions. I had pointed out that the Government were bound not to interfere in the management, in the appointment of directors. Yet they have virtually interfered every time. They had brought somebody from Bombay. Now, I understand, that because things are not as they like even though I understand that under the management of a former Member of Parliament things are looking better in other directions, except the Cooper, Allen plant, he is to be moved or shifted to make room for another favourite, who has not seen any business, but has been one of the oldest communists in this country. I do not know — I hope the Minister will enlighten us whether this rumour is true or not—but is that going to do any good? When it was pointed out from this side, from these Benches, and I had particularly pointed out the mistake about the Jayanti Shipping Company, Government went on repeating and saying that everything was all right. Ultimately it was proved that it was not all right. This is exactly a similar instance where a large industrial concern or complex, the British India Corporation, is being ruined because the Congress wants more money and wants to use the money for its election purposes, to make things more comfortable for its favourites. Otherwise things could be settled in a few minutes. What is needed is the toning up of the administration of that Corporation. I have taken trouble to go into it. As many Members in this House and the other House know, some time last year I think a Member of that House was asked to look after the company's affairs. He has

been able to put things into proper shape. There is only one unit, the leather unit, which is not doing well and there also the trouble is Prime Minister. At one time, it was suggested that a new shoe factory should be started in the Prime Minister's constituency. When I pointed out that there is this leather unit of the BIC and why it is not being used, I am told now that the starting of a new leather factory in that district has gone into the background. But nothing is being done to set this right. In the meantime, every month Rs. 5 lakhs of the shareholders' money and the country's economy are going down the drain because the Government cannot make up its mind. It is a sad commentary on the Industry Minister or the Commerce Minister, or both, that they are not able to put things right. Unfortunately the Government seems to be drifting. There does not seem to be any firmness with its policy. They are hesitating, wavering, and not taking action in time, which is worse than taking even a wrong action. If you take a wrong action, you learn that this is wrong and you can correct your mistake. But if you do not take action and you just drift, you go on drifting, drifting and drifting and mistakes multiply. That is what is happening with the administration of Uttar Pradesh, and I referred to this company, the British India Corporation; and that is what is happening to this Government.

Sir, it is not only Uttar Pradesh which is in this state in our country today. Bihar is under President's rule. Bengal is under President's rule. The three major States are under President's rule. There is no democratic Government functioning, and yet we have the Congress Government sitting here as if it is in the majority. I say that because of its misrule, because of its not being able to take firm and timely action, it has failed to govern this country, and therefore this Government has no moral right to sit in authority in the Centre. This Government is just drifting and carrying on. One after another they make some balance here and some balance there, which is neither helping the country nor the poor people of this country. This is the worst thing that can happen anywhere.

On the law and order situation we have had a long discussion this morning. I do not want to repeat it. But I would say that if the law and order situation in the Centre is weak, it is bound to be reflected elsewhere, and Uttar Pradesh is perhaps a reflection of what things are in Delhi. If we have a

[Shir Dahyabhai V. Patel]

firm administration, an administration that is able to preserve law and order properly in Delhi, Delhi should be in a position to supply trained policemen, trained people to keep law and order, who can deal firmly with the people without being cruel, without using more violence than is absolutely necessary. After all firm government does not mean cruelty or ruthlessness. A firm government is a government that takes action when necessary and never uses more force than is necessary. Today the Government of India is in that condition—except in a few places where there is a local-Government functioning, a State Government functioning which is alive and active—where the actions of the Central Government or the supervision of the Central Government are nominal and superficial as this morning's discussions on what happened in places like Ballia and other areas in Uttar Pradesh have shown. Therefore, it is high time, if this condition is to continue, that the Home Minister should apply his mind to improving the situation. I am afraid the Home Minister has failed the country in the manner in which he has answered today. He does not seem to be fully aware of what is happening in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is his responsibility. If Uttar Pradesh is under President's rule, it is primarily the responsibility of the Home Minister. The Home Minister does not seem to be aware of what is happening there, and Members of Parliament from that area come and report thing? here, and he is waiting for reports from his district officers. He cannot even take action, he cannot even find out information in five days when serious matters are raised on the floor of the House. This is a very very sad commentary on what is happening in Uttar Pradesh. It is time that, if this Government wants to, it should end such things otherwise the people will have to end this Government.

श्री शीलभद्र थाजी : माननीय वाइस चेयरमन महोदय, उत्तर प्रदेश में गवर्नर शासन की अवधि बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। इस प्रस्ताव पर भाषण देते हुए हमारे कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने, खासकर श्री राजनारायण जी ने डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की दुहाई दी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन पर नई चढ़ाई की और नया आक्रमण किया।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक कुशल प्रशासक हैं और यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और कई ऐसे मौके आये जो उन्होंने यह बात दिखलाने की कोशिश की उन्होंने कांग्रेस वालों को भी यह मौका नहीं दिया कि वहाँ पर शासन करे जबकि कांग्रेसवालों का वहाँ पर बहुमत था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और कांग्रेसवालों को वहाँ पर राज्य करने की अनुमति नहीं दी। वे इस मामले में बहुत ही निष्पक्ष रहे लेकिन फिर भी राजनारायण जी जो कि सारी खुराफात और झगड़े की जड़ हैं, यह बात कैसे कहते हैं कि राज्यपाल वहाँ पर निष्पक्ष रूप से शासन नहीं चला रहे हैं। अगर वे इस तरह की खुराफात नहीं करते तो आज यह नीबट नहीं आती कि वहाँ पर गवर्नर का शासन 6 महीने या 9 के लिए बढ़ाने का मौका आता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सारी जड़ श्री राजनारायण जी हैं जो एस० एस० पी० के नेता हैं और जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन आज वे स्वयं ही इस डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं।

जसा कि बतलाया गया कि श्री राजनारायण जी की पार्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी जो को बनारस में गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि श्री चरण सिंह की सरकार और जनसंघ की सरकार वहाँ पर कठिनाई में थी और उनके कुछ साथी वहाँ पर अरेस्ट हो गये थे। कभी कभी श्री राजनारायण जी सरकारी पार्ट अदा करने की बात करते हैं और यह जो उनके सोचने का तरीका है वह गलत है। मैं समझता हूँ कि श्री डाह्याभाई पटेल भी उनके फेरे में पड़ जाते हैं जो कि एक समझदार आदमी माने जाते हैं और संतुलित विचार रखते हैं। चूंकि वे उनकी ही बगल में बैठते हैं, इसलिए उन्हें भी हवा लग जाती है। जिस तरह से श्री राजनारायण जी बोलते हैं, उसी तरह से श्री डाह्याभाई भी बोलते हैं और उनके साथ

गहराई में जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह की सरकार चली गई थी और चूंकि वहां पर कांग्रेसवालों का बहुमत था, इसलिए उसके बाद श्री गुप्ता जी को सरकार बनाने के लिए कहा जाता। लेकिन कुछ पार्टियां थीं, विशेषकर हमारे राजनारायण जी की पार्टी इस चीज को नहीं चाहती थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बने। वह अगर किसी चीज को नहीं चाहते कि नहीं होगी, तो नहीं होगी। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि सारी खुराफत की जड़ वे ही थे और ऐसी नौबत उन्होंने ही पहुंचाई कि वहां पर दो बार गवर्नर का शासन लागू करना पड़ा। श्री राजनारायण जी अपने भाषणों में डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। प्रजातंत्र को हम भी समझते हैं और माननीय सदस्य भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ब्रिटिशों के जमाने से जो कानून था उस को आज फिर से वहां पर लागू किया जा रहा है। ब्रिटिशों के जमाने में जितने क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट थे और दफा 302 भी उन्हीं के जमाने से लागू था, वे आज भी लागू किये जा रहे हैं। इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइनीज एलीमेंट्स हैं, जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। प्रो राजनारायण के पार्टी के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस देश में ऐसे तत्व हैं जो मुल्क में हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस तरह के तत्व मुल्क में सब जगह मौजूद हैं। इस तरह के जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तानी एलीमेंट्स हैं, जो मुल्क में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जो मुल्क में दंगा कराना चाहते हैं, जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनके खिलाफ

इस तरह का कानून इस्तेमाल किया जाना आवश्यक हो जाता है। आज वही लोग इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट लागू कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है कि जब ब्रिटिशों ने हम लोगों को अरेस्ट इस कानून के मातहत किया, तो आज जो देश में साम्प्रदायिकता की भावना फैला रहे हैं, जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तान एजेंट हैं, उन्हें क्यों नहीं देश की सुरक्षा की खातिर इन कानूनों के मातहत गिरफ्तार किया जाय। आज वे ब्रिटिशों की दुहाई देते हैं और उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का शासन है उसका ऐसा चित्र रखा है जैसे कि वहां पर किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है और न किसी को काम करने की आजादी है। इस तरह की जो बात उन्होंने कही वह बिल्कुल असत्य है। इस तरह से बढ़ा बढ़ा कर कोई जवाबदेह पार्लियामेंट का सदस्य इस तरह की बात कहता है तो वह शोभा की बात नहीं है। राजनारायण जी का तो यह पेशा है और उस के चलते वह उससे मजबूर भी है। मेरा तो यह कहना है कि वहां जो परिस्थिति पैदा हो गयी थी और जो परिस्थिति वहां है उसमें यदि गवर्नर का शासन 6 महीने की अवधि के लिये वहां पर और बढ़ाया जाता है, उस समय तक के लिये जब तक कि एलेक्शन नहीं हो जाते, तो वह उचित ही है। हाँ, यदि राजनारायण जी कहते कि एलेक्शन फरवरी में न हो कर नवम्बर में होने चाहिये तो मैं इसको समझ सकता था लेकिन जो गवर्नर का शासन वहां पर लाने वाले हैं, कराने वाले हैं उन के मुंह से इस तरह की बात निकले यह शोभा की बात नहीं है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। साढ़े आठ करोड़ की वहां की आबादी है और जिस तरह से उस की तरक्की आगे को होनी चाहिये वह तरक्की नहीं हो रही है। मैंने तो एक बार कहा था कि जो, प्रधान मंत्री होते हैं वहां से उन को उसका



[श्री शीलभद्र याजी]

खयाल करना चाहिये तो सरकार को तरफ से बयान निकलने शुरू हो गये कि यह गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर सारे देश के होते हैं। मैंने कोई चढ़ाई नहीं की थी। लेकिन हकीकत यह है कि जब, प्लानिंग में रुपया हम इंसानों की तादाद के अनुसार देते हैं, कितना कार्य कहां हो रहा है इस को देखने हैं तो उस में ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ यह कहना भी गलत है। वहां इंडस्ट्रीज नहीं हुई, कारखाने नहीं हुए, ऐसा नहीं है : आप गाजियाबाद से आगे चले जाइये पता चल जायगा कि क्या हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जिस के लिये कि डाह्याभाई जीने भी कभी घड़ियाल के आंसू बहाये हैं, वह जरूर पिछड़ा हुआ इलाका है। अगस्त की महान क्रान्ति में उस ने सब से ज्यादा भाग लिया है, उस को बढ़ाने के लिये खास कर जो गंडक का प्रोजेक्ट है, जो यू० पी० और बिहार दोनों के लिये है, वह अगर कामयाब हो जाता है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और वहां सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। तो इसलिये प्लानिंग में जो रकम दी जाय उस के द्वारा कोशिश की जाय कि यह गंडक प्रोजेक्ट जो है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिये मुफीद है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर सरकार से, केन्द्रीय सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है उस के अनुपात में उसका विकास नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था वहां होनी चाहिये और इंडस्ट्रियली भी उसकी उन्नति होनी चाहिये। इस के साथ साथ जो हमारे दूसरे विरोधी भाई हैं उन को भी कोशिश करनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश में जिस किसी

की सरकार बनें वह कुछ दिन तक चले। यह जरूर है कि गवर्नर के शासन में जनता की आवाज सब जगह पहुंच नहीं सकती, एम० एल० एज० वाली व्यवस्था साथ साथ नहीं चला सकती इसलिये ही कहना है कि ऐसी हरकत न करें कि जिन के कारण गवर्नर शासन ही वहां चलता रह। इसलिये गवर्नर पर जो राजनारायण जी ने चढ़ाई की है कि उनकी वजह से यह सब खुराफात हो रही है, वहां का शासन ठीक नहीं है, वहां डेमोक्रेसी की हत्या हो गयी है यह सब कपोल कल्पित बातें हैं और मेरी गुजारिश है कि अगर सारी राजनीतिक पार्टियाँ आपस में ठीक आचरण नहीं करती हैं तो इस तरह का गवर्नर शासन वहां 5 वर्ष तक ही चलता रहे वही अच्छा होगा। अगर हम ठोक से नहीं चलते हैं तो यह राष्ट्रपति शासन वहां बढ़ता जाय यह अच्छा होगा बनिस्वत इस के कि इस तरह की खींचातानी हो।

एक माननीय सदस्य : केंद्र में भी करा दीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : यहां भी करायेंगे यदि यहां गड़बड़-शड़बड़ कर के कोई चरण सिंह आप बना लेंगे जिस की उम्मीद नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं। मैं सरकार से फिर अनुरोध करूंगा कि वह प्लानिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिये जो ज्यादा से ज्यादा रुपया है वह दे और खास कर जो प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं उन में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये और औद्योगिक प्रगति भी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं।

श्री पीताम्बर दास : आदरणीय उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन जिन हालात में लागू हुआ उस के बारे में डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उस दिन जब प्रस्ताव पेश किया था, तो यह कहा था कि इसको चर्चा सदन में काफी हो चुकी है, इसलिये



उस का जिक्र करना बेकार है। मैं भी इसी वजह से उस का जिक्र नहीं करता क्योंकि उस की चर्चा पहले काफी हो चुकी है। जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था विधान सभा भंग करने के बाद तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने और वहाँ के मुख्य सचिव ने, दोनों ने अलग अलग यह वक्तव्यों द्वारा यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रपति के शासन काल में उन नीतियों में कोई अदल-बदल नहीं होगी कि जो संविद सरकार के द्वारा बरती जा रही थीं लेकिन अगर ध्यान से देखा जाय तो जिस दिन से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उस दिन से आज तक का उत्तर प्रदेश का इतिहास राज्यपाल के वचन-भंग से भरा हुआ है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूँ जिन से यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि संविद सरकार की जितनी मुख्य नीतियां थीं और जितने उस के महत्वपूर्ण निर्णय थे वह सब या तो बदल दिये गये, या कार्यान्वित नहीं किये गये, और या उन को तोड़ मरोड़ कर इस तरह जनता के सामने रखा गया है जिस से संविद सरकार की बदनामी हो।

एक तो महत्वपूर्ण निर्णय संविद सरकार ने यह लिया था कि जितने सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं यानी पब्लिकमैन यदि उन के विरुद्ध कोई आरोप हों, बेईमानी के और भ्रष्टाचार के या कोई और अनतिक्रम के तो उन के संबंध में मैं जांच पड़ताल की जा सके इसके लिये एक कानून संविद सरकार पास करने वाली थी यानी पब्लिकमैन्स इन्क्वायरी बिल लाने वाली थी। अक्टूबर 1967 में उस के संबंध में आर्डिनेन्स जारी किया गया था—पब्लिकमैन्स इन्क्वायरी आर्डिनेन्स। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह आर्डिनेन्स रद्द कर दिया गया और जितने जाने माने भ्रष्टाचार पब्लिकमैन हैं जिन को यह डर हो चला था कि उन के खिलाफ कार्यवाही होगी, जांच

पड़ताल होगी और लोगों को भी उनके खिलाफ आरोप साबित करने का मौका मिल सकेगा वह सब खत्म कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था संविद सरकार का। राज्यपाल ने अपने वचन को भंग किया और उस को रद्द कर दिया।

दूसरी बात, जिला परिषदों में जितने ऐसे अध्यक्ष थे कि जिन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत थी उन की जांच-पड़ताल शुरू हो गयी थी, बेईमानी के आरोपों की और गबन के आरोपों की। यह सब कैसेज जिनकी जांच शुरू हो गयी थी, समाप्त कर दिये गये राष्ट्रपति शासन आने के बाद।

तीसरी बात, जिस समय संविद सरकार ने 1967-68 का बजट प्रस्तुत किया था तों उस में 'भूमि भवन कर' समाप्त कर दिया यानी लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स। बहुत आन्दोलन प्रदेश में हुये थे उसकी समाप्ति के लिये। लोग जल गये थे और उनके उपर लाठियां भी चली थीं। जब संविद सरकार आई तो उसने अपने वायदे के मूताबिक जो इलेक्शंस के जमाने में उन्होंने किये थे कि हम सरकार में आते ही इसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म किया। इसमें सन्देह नहीं कि उसके कारण उत्तर प्रदेश की करीब द्वाई करोड़ रुपये सालाना की आमदनी कम हो गई, परन्तु उस सब का संविद सरकार ने बजट में प्राविधान कर दिया था। जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 15, 16 साल से लगातार घाटे का बजट बनता आता था वहाँ संविद सरकार ने 55 लाख रुपये का सरप्लस बजट दिया। और जिस उत्तर प्रदेश में हर साल टैक्स लगाय जाते थे संविद सरकार ने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया और खास कर के तब जब कि दस करोड़ रुपया इसी साल सरकारी कर्मचारियों को डी० ए० में देना पड़ा और 5 करोड़ रुपये का जो चौथाई लगान बढ़ा हुआ था पाकिस्तान के आक्रमण के

[श्री पीताम्बर दास]

समय में वह माफ किया। यानी इस 17½ करोड़ के अन्तर के बाद भी संविद सरकार यह संकल्प ले कर चली कि कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे। फिर भी उसने बजट में 55 लाख रुपये की बचत दी। संविद सरकार द्वारा जो भूमि भवन समाप्त कर देने का ऐलान कर दिया गया था। उसको पूरा करने की कार्यवाई नहीं की गई। वह रोक दिया गया।

चौथी बात यह है कि संविद सरकार ने सवा छः एकड़ और उससे कम जोतों के ऊपर लगान की माफ़ी की कार्यवाई चालू की थी। राज्यपाल महोदय ने उस कार्यवाई को भी रोक दिया और आगे वह कार्यवाई चली नहीं।

पाँचवीं बात संविद सरकार ने एक हजार रुपया या उससे अधिक जिन सरकारी कर्मचारियों की स्टार्टिंग पे थी उनके पे स्केल्स को रिवाइज करने के लिये निर्णय लिया था और रिवाइज्ड पे स्केल्स एक अप्रैल, 1967 से लागू किये जाने थे। उस सब के लिये बजट में प्राविधान था। राज्यपाल महोदय ने उस निर्णय को लागू तो किया लेकिन एक अप्रैल 1968 से लागू किया। कर्मचारियों को एक साल के रुपये की हानि हो गई।

दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में संविद सरकार ने इंटरमीडिएट के लिये केवल चार विषय कर दिये थे। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्यपाल ने चार से बढ़ा कर के पांच विषय कर दिये और इस तरीके से अंग्रेजी की अनिवार्यता जो संविद सरकार ने समाप्त कर दी थी, उसको फिर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चालू कर दिया।

गृह मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय राज्यपाल महोदय के एक काम की बड़ी प्रशंसा की थी कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन के मिलने में जो कठिनाई होती थी, कि प्रबंधक

लोग जितना रुपया वास्तव में देते थे उससे अधिक को रसीद उनसे ले लेते थे। उसे दूर करने के लिए राज्यपाल महोदय ने यह किया कि उनकी अदायगी के लिये अब क्रासड डाफ्ट या क्रासड चेक देने की व्यवस्था की है। मैं इस सम्बन्ध में यह बता दूँ कि संविद सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह व्यवस्था कर दी थी कि जो 52 हजार माध्यमिक शिक्षक हैं उनका वेतन सीधे राज्य सरकार के खजाने से मिला करेगा। उसमें कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं थी। करीब 25 हजार स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश में और राज्य सरकार की ओर से कुल मिलाकर 9 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता उनको दी जाती है। अध्यापकों का वेतन केवल 5 करोड़ 87 लाख होता है। 3 करोड़ 80 लाख रु० वेतन देकर बचता है। विद्यालयों के बाकी खर्च की व्यवस्था जो रुपया फीस में वसूल होता है विद्यार्थियों से उससे करने के बाद केवल 1 करोड़ 80 लाख की कमी पड़ती जो राज्य सरकार को देना पड़ता। शिक्षकों को आसानी हो जाने के साथ ही इस तरीके से सीधे सीधे दो करोड़ की बचत सालाना राज्य सरकार को होने वाली थी। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन लागू होते ही उस सारी स्कीम को खटाई में डाल दिया और यह दो करोड़ रुपये की बचत जो उत्तर प्रदेश को होने वाली थी और जो 52 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की समस्या हल होने वाली थी वह सब समाप्त हो गई।

संविद सरकार ने 26 जनवरी, 1968 से हिन्दी अनिवार्यतः सारे क्षेत्रों में लागू कर दी थी, प्रशासन में भी, स्कूलों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन राज्यपाल महोदय ने इंटरमीडिएट में पांच विषय कर के अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को फिर लागू किया। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस की नगर महापालिका में एक ऐसी परम्परा डाल दी है जो आज भले ही दिक्कततलब न दिखाई

देती हो और आने वाले मिड टर्म एलेक्शंस में इस बात की चुनौती देता हूँ कि उन चारों की दृष्टि से बड़ी अच्छी मालूम होती हो में से एक में भी इन योग्यताओं में जिनका कांग्रेस को, परन्तु किसी समय जा कर के यह उल्लेख संविधान में है एक भी योग्यता प्रदेश के लिये बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। मौजूद नहीं है। अभी हाल में ही राज्य-महापालिका में हिन्दी में शपथ ली जानी पाल महोदय ने उत्तर प्रदेश में विद्वद्विद्यालयों चाहिये यह कानून में है, उसके नियमों में है की कार्यसमितियों में, उनकी कोर्ट्स में प्रशासन और शपथ दिलाने का काम नगर प्रमुख का के अधिकारियों की नियुक्ति की हो इलाहा-था। राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेंस जारी कर बाद यूनिवर्सिटी की एक्जिक्युटिव में इलाहा-के नगर प्रमुख के साथ साथ कुछ और भी बाद डिप्टी जन के कमिश्नर को नियुक्त किया अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं जो शपथ है, कानपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट में वहाँ के दिला सकते हैं। उन्होंने हिन्दी की अनिवार्यता हटा कर के ऐसी भाषा में भी शपथ अन्य यूनिवर्सिटियों में प्रशासन के अधिकारियों दिलाने की व्यवस्था कर दी है जिस के कारण को नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूँ हमारे देश के टुकड़े हुये हैं। यह काम राज्य-कि एक ओर जब उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज पाल के केवल वचन भंग का नहीं है बल्कि की आटोनामी को स्वीकार किया है तो यह काम राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देने का है। अप्रत्यक्ष रूप से उसके सरकारी प्रभाव और और राष्ट्र के लिये आगे चलकर घातक सिद्ध नियंत्रण के क्या माने हैं। श्रीमान्, केवल इतना ही नहीं, विधान सभा के सचिवालय में हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री विशेष भी जो पद्धति काम करने की होनी चाहिये रूप से इसको नोट कर लें। उसके ऊपर भी राज्यपाल ने कुठाराघात किया है। मैं समझता हूँ वह कुठाराघात केन्द्रीय सरकार ने भी किया है। यह जो प्रोक्लेशन है

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में राज्यपाल की ओर से चार सदस्यों के हर दो साल बाद नामिनेशंस होते हैं। उन नामिनेशंस के लिये संविधान के अनुच्छेद 171 (5) में व्यवस्था है कि जो लोग नामिनेट किये जायेंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी।

Art. 171(5)—"The members to be nominated by the Governor under sub clause (e) of clause 3 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matter! as the following, namely, literature science, art, co-operative movement and social service".

इस बार जो चार सदस्य राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल महोदय ने विधान परिषद् में नामिनेट किये हैं, मैं उनका नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत आलोचना करने की मेरी आदत नहीं है। और विशेष रूप से ऐसे लोगों की जो अपने बारे में यहां कुछ न कह सकते हों। परन्तु आप एक एक को देख लें और

मैं इस बात की चुनौती देता हूँ कि उन चारों में से एक में भी इन योग्यताओं में जिनका उल्लेख संविधान में है एक भी योग्यता मौजूद नहीं है। अभी हाल में ही राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश में विद्वद्विद्यालयों की कार्यसमितियों में, उनकी कोर्ट्स में प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति की हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्जिक्युटिव में इलाहाबाद डिप्टी जन के कमिश्नर को नियुक्त किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट में वहाँ के जिलाधीश को नियुक्त किया है, और भी अन्य यूनिवर्सिटियों में प्रशासन के अधिकारियों को नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक ओर जब उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को स्वीकार किया है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके सरकारी प्रभाव और नियंत्रण के क्या माने हैं। श्रीमान्, केवल इतना ही नहीं, विधान सभा के सचिवालय में भी जो पद्धति काम करने की होनी चाहिये उसके ऊपर भी राज्यपाल ने कुठाराघात किया है। मैं समझता हूँ वह कुठाराघात केन्द्रीय सरकार ने भी किया है। यह जो प्रोक्लेशन है

dated 25th February as amended by Proclamation dated 15th April 68.

इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 179 है उसके क्लॉज (बी) एंड (सी) और फर्स्ट प्राविजो ये तो सस्पेंड किए गए हैं, दूसरा प्राविजो सस्पेंड नहीं किया गया है। दूसरा प्राविजो यह है—

"Whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution".

इस प्रोक्लेशन में स्पीकर को बनाए रखा है, परन्तु सेक्रेटोरियल स्टाफ के बारे में स्पीकर के जो अधिकार हैं वे समाप्त कर दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 187 के सबक्लॉज (3) में दिया गया है—

"Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with

[श्री पीताम्बर दास]

the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause".

जो प्रोक्लेमेशन है इसमें अनुच्छेद 187 (3) को, "So far as it requires consultation with the Speaker of the Legislative Assembly..." सस्पेंड कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि असेम्बली का स्पीकर बनाए रखना और जो असेम्बली का सेक्रेटारियल स्टाफ है उसके सम्बन्ध में नियम बनाने समय उसका न पूछा जाना यह कौन सी प्रजातन्त्रीय पद्धति के अन्दर उचित है। यह प्राचीन 187 संविधान में रखा ही इसलिए गया था कि लेजिस्लेचर्स का जो सेक्रेटारियल स्टाफ है प्रिमाइडिंग आफिसर्स का उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। राज्यपाल महोदय ने यह कदम उठाया उस सारे स्टाफ के बारे में जिसकी स्वतंत्रता संविधान में बनाए रखी गई है और जिसकी स्वतंत्रता के लिए विठ्ठलभाई पटेल ने लार्ड इविन के साथ झगड़ा किया था। हमारे लेजिस्लेचर का जो स्टाफ है It should be free from all pressures. उन्होंने उस सारे स्टाफ को शासन के और, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर में, यानी एग्जीक्यूटिव के अन्दर में ला कर खड़ा कर दिया है। इससे बड़ा लोकतन्त्रीय पद्धति के नाश का दूसरा कदम नहीं हो सकता।

श्रीमन्, मैं इस बात के औचित्य में नहीं जाता कि पार्टीज ने रजामन्दी इस बात के लिए दे दी कि इलेक्शन जनवरी में कराए जायें या फरवरी में कराए जायें। मैं साफ तरीके से यह बता देना चाहता हूँ कि यह देश पार्टीयों से बड़ा है और कांग्रेस राज्यपाल को या प्रेसिडेंट को, किसी को भी यह अधिकार नहीं था कि—चाहे राजनीतिक दलों की रजामन्दी से ही क्यों न हो—कि इस देश की

प्रजातन्त्रीय पद्धति के रास्ते में रुकावटें डाली जायें। सवाल उसूलों का है, सवाल किसी की रजामन्दी का नहीं है। हमने संविधान में यह स्वीकार किया है कि देश का शासन प्रजातन्त्रीय पद्धति से चलेगा। इस तरह का कोई बहाना नहीं चल सकता कि पार्टीज ने रजामन्दी दे दी है इसलिए इलेक्शन टाल दिया गया है जनवरी तक के लिए या फरवरी तक के लिए।

मैं दो बातें और कह कर समाप्त कर दूंगा। 15 अप्रैल, 1968 को देहरादून में चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एक भोज हुआ। उस भोज में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने स्वयं कहा—

"A good Government is never a substitute for self-government".

और हमारे उपगृहमंत्री महोदय इस सदन में यह कह रहे थे कि राज्यपाल का शासन बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी मियाद आगे को बढ़ानी चाहिए। राज्यपाल महोदय तो कहते हैं, "A good Government is no substitute for self-government". और गृह उपमंत्री महोदय बकालत कर रहे हैं कि वह बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए चलती रहनी चाहिए। श्रीमन्, ये सारी बातें सुनने के बाद आप देखेंगे कि शुरू से आज तक एक-एक कदम के ऊपर वचन भंग हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार अपने वचन को नहीं रख सकती है, जो सरकार एक-एक कदम के ऊपर वचन भंग करती हो, उसको एक मिनट भी टिके रहने का अधिकार नहीं है। उसे संवैधानिक अधिकार उप-गृहमंत्री महोदय दिलाना चाहते हैं दिला भी देंगे अपने बहुमत के आधार पर, लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाय तो इस सरकार को एक मिनट भी टिकने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।

**REFERENCE TO DEMONSTRATION OF  
STATE GOVERNMENTS' AND  
CENTRAL GOVERNMENT'S EMPL-  
OYEEES BEFORE PARLIAMENT  
HOUSE**

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहूंगा। अभी हम गए थे। सारे राज्यों के कर्मचारी आए हैं। तमाम पानी पड़ रहा है, चारों तरफ से घुड़सवार पुलिस उनको घेरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन सी व्यवस्था है जनतंत्र की जिसमें पानी में भीगते हुए राज्यकर्मचारी मजबूर किए जायें अपने डेलीबेरेशन्स को करने के लिये? यह जनतंत्र है? गृह मंत्री शुक्ल जी यहां बैठे हुए हैं, आपके जरिए मैं उनसे कहूंगा कि इन लोगों को बाकायदा यहां आने दियो जाय, चारों तरफ से घुड़सवार पुलिस उनको न घेरे, और पानी में भीगने के लिए मजबूर न करे।

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI D. THENGARI): You have mentioned it.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप सरकार को कहें कि सरकार ने किस नियम के मातहत ऐसा किया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? क्या यह 144 किसी मजिस्ट्रेट या किसी मंत्री के दिमाग का फिचूर है जहां चाहे लगा दी।

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : सारे हिन्दुस्तान से वे लोग आए हैं। मैंने 14 तारीख को ही इस बारे में कालिस अटेंशन दिया था। पता नहीं वह स्वीकृत हुआ या नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। कम से कम आप सरकार को कहें कि उनकी मांगों के बारे में यहां एक वक्तव्य तो दे।

श्री राजनारायण : यह क्या मजाक है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : शुक्ल जी कुछ कहना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी नहीं।

6—26 R. S./68

**RESOLUTION RE CONTINUANCE  
OF THE PRESIDENT'S PROCLAMA-  
TIONS IN RELATION TO THE STATE  
OF UTTAR PRADESH—contd.**

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, साधारण तौर पर से ऐसे प्रस्ताव की, जिससे प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूती न मिलती हो हम उसकी ताईद नहीं करते लेकिन ऐसे समय में मंत्री जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि हम कुछ चाहें या न चाहें इस प्रस्ताव को हमें पास करना ही होगा, इसका अनुमोदन हमें करना ही होगा। क्यों राष्ट्रपति शासन हुआ, इन तमाम बातों पर जब यहां पहली बार यह विवाद हुआ था, चर्चा हो चुकी है। मैं समझता था कि उन बातों पर चर्चा कम होगी। वह एक लम्बी कहानी है। इस बात का दुख नहीं है कि...

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पाइन्ट आफ ऑर्डर इस समय कोरम नहीं है, इस लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए।

श्री शालभद्र याजी : हो जायगा।

श्री राजनारायण : हो जायगा तब देखा जायगा। कोरम नहीं है तो कैसे कार्यवाही चलेगी। श्रीमन्, आप कृपा कर हमें छुट्टी दीजिये हम सब भीग गये हैं, जरा देखिये, कपड़ा बदलना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D-THENGARI): You continue, Mr. Misra-

श्री राजनारायण : श्रीमन्, कोरम के अभाव में भी भाषण जारी रहेगा और वह रिकार्ड होगा। कोरम का प्वाइंट न उठे तो बात दूसरी है लेकिन जब कोरम का प्वाइंट उठ जाय तब कार्यवाही नहीं चलेगी और वह रिकार्ड नहीं होना चाहिये।

श्री आर० एस० दुगड़ (पश्चिमी बंगाल) : अपोजीशन का भी काम है कि वह कोरम दे।